बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

इंदिरा आवास योजना

द्वितीय विशेष अभियान - 12 अक्टूबर, 2012 (शुक्रवार)

दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 (शुक्रवार) को राज्य के सभी प्रखंडों में वर्ष 2012-13 के द्वितीय विशेष अभियान के लिए स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता अनुदान की राशि का भुगतान बैंक पासबुक के माध्यम से माननीय जन प्रतिनिधिगण एवं वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा सभी स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों से निवेदन है कि वे अपने प्रखंड में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपना राशि प्रविष्ट किया हुआ पासबुक प्राप्त करें।

लाभार्थीगण कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें

01. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर आरोही क्रम में किया जाता है।

02. इंदिरा आवास शिविर में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष काउंटर बनाये गये हैं जहां विडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। शिकायतकर्ता के बयान की विडियोग्राफी की जायेगी एवं उनके द्वारा दर्ज शिकायत की प्राप्ति रसीद भी उन्हें दी जायेगी।

03. इंदिरा आवास योजना के लाभुक दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहें।

04. प्रथम किस्त के रूप में रुपये 30,000 (तीस हजार रुपये) एवं लिंटल स्तर तक आवास पूर्ण करने पर द्वितीय किस्त की राशि रुपये 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये) दिये जायेंगें एवं नक्सल प्रभावित जिलों (औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, भभुआ, मुंगेर, सीतामढ़ी एवं पं० चम्पारण) में यह राशि क्रमशः रुपये 30,000 एवं 18,500 अनुमान्य है।

05. द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु लिंटल स्तर तक निर्मित आवास के फोटो की अनिवार्यता है जिसमें घर को दर्शाता हुआ लाभार्थी का फोटो हो।

06. लिंटल स्तर तक निर्मित मकान का फोटो वसुधा केन्द्र के माध्यम से भी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

07. लाभुक को आवास का निर्माण छः माह के अन्दर स्वयं पूर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने पर लाभुक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है तथा पूर्ण राशि वसूल भी की जा सकती है।

08. संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं मनरेगा के तहत शौचालय का निर्माण कराने की व्यवस्था है। इस संबंध में इंदिरा आवास के लाभार्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें।

09. इंदिरा आवास के लाभार्थी अपने आवास के पास फलदार वृक्ष लगावें।

10. इंदिरा आवास के आवंटन में किसी प्रकार की परेशानी हो तो इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग के टॉल फ्री दूरभाष संख्या 18003425544 पर दी जा सकती है।

निवेदक

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

टॉल फ्री दूरभाष संख्या-18003425544